कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली

संदेश

हिंदी दिवस

14 सितम्बर, 2023

14 सितम्बर, 2023 "हिंदी दिवस" के पावन अवसर पर जिला न्यायालय, दिल्ली के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।

देश को एक सूत्र में पिरोने के लिये हिंदी भाषा का योगदान अतुलनीय है। राष्ट्रभाषा हिंदी को 14 सितम्बर, 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तभी से 14 सितम्बर का दिन प्रत्येक वर्ष पूरे भारत वर्ष में 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है एवं हिंदी भाषा को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ लोगों को हिंदी भाषा के करीब लाने और उन्हें इसके महत्व एवं सम्मान के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

हमें भी हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर राजभाषा हिंदी के प्रचार, प्रसार व इसके विकास के प्रति स्वयं को समर्पित करते हुए अपने दैनिक सरकारी कामकाज तथा बोलचाल में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करना चाहिए।

'हम भारतीय सभी भाषाओं का करते हैं सम्मान, पर हिंदी ही है हम सबकी पहचान।'

सीमा मैनी

(सीमा मैनी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

विमल यादव

(विमल कुमार यादव)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

संख्या : 30203-328 हिंदी(उ./उ-प.)/रोहिणी/2023 दिल्ली, दिनांक 14/09/2023

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त परिपत्र की प्रति निम्न को प्रेषित की जाती है:-

1. केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. समस्त न्यायिक अधिकारी, उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
3. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभागों के अनुभाग प्रमुख, उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
4. प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, लेयर्स पर अपलोड करने हेतु ।
5. अभिलेख अधिकारी, उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
6. निजी सचिव, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।

प्रति

लिंक नोडल अधिकारी
राजभाषा अनुभाग (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय परिसर, दिल्ली

रिंकी मल्होत्रा

लिंक नोडल अधिकारी
राजभाषा अनुभाग (उत्तर-पश्चिम)
रोहिणी न्यायालय परिसर, दिल्ली